अति आवश्यक

म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
26, किसान भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल

क्रं./बी–6/नियमन/2014–15/१५५८ भोपाल, दिनांक 22/05/2014

प्रति,

संयुक्त संचालक/उप संचालक,
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय .....

विषयः–अनुज्ञप्तिधारी व्यापरियों से घोषित क्रय क्षमता के अनुसार प्रतिभूति लेने के संबंध मे।

मुख्यालय में आयोजित आंचलिक संयुक्त/उपसंचालको एवं सचिवो की विडियो कान्फ्रेसिंग मासिक समीक्षा की बैठकों में यह निर्देश दिये जाते रहे है कि मंडी समितियों में सचिवों का यह दायित्व है कि अनुज्ञप्तिधारी व्यापरियों द्वारा अपनी घोषित क्रय क्षमता तथा जमा की गई प्रतिभूति की राशि से अधिक मूल्य की कृषि उपज की खरीदी न की जाये एवं क्रय क्षमता से अधिक मूल्य की कृषि उपज क्रय करने तथा इसके अनुरूप पुनरक्षित प्रतिभूति तत्काल सतत कार्यवाही की जाये।

कृषि उपज मंडी समितियो को अनुज्ञप्ति स्वीकृत करते समय केता व्यापरियो से उनके द्वारा क्रय किये जाने वाली कृषि उपज के भुगतान में विक्रेता की जोखिम को सुरक्षित करने के उद्देश्य से मंडी अधिनियम की धारा 17(ग्यारह) (क) और 17(ग्यारह) (ख) एवं धारा 17 (तेरह) (क) के अधीन यथोचित उपाय करने की शक्तियां प्राप्त हैं। उपविधि सन् 2000 की कंडिका 18 के अधीन अनुज्ञप्ति स्वीकृत करते समय केता व्यापारियों (सामूहिक/व्यक्तिगत) से नगद/बैंक गारंटी प्रतिभूति के रुप में लेने का प्रावधान किया गया है, जिसके लिये अनुज्ञप्ति आवेदन के साथ व्यापारी द्वारा क्रय क्षमता का घोषणा पत्र प्रारूप छः आदि में प्राप्त किया जाता है।

समस्त संबंधितों को उपरोक्त संदर्भ में बार–बार निर्देश दिये जाने के उपरांत भी प्रायः ऐसा देखा जा रहा है कि अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी द्वारा घोषित क्रय क्षमता की सीमा के अंदर ही मण्डी प्रांगण मे अधिसूचित कृषि उपज का क्रय किये जाने की न तो मण्डी सचिव द्वारा नियमित/सतत् समीक्षा की जाती है ना ही व्यापारी द्वारा प्रतिदिन निर्धारित क्रय सीमा से अधिक मूल्य की कृषि उपज खरीदी को नियंत्रण करने के लिये सचिव/उपसंचालक/संयुक्त संचालक/आंचलिक कार्यालय द्वारा कोई प्रभावी उपाय ही किये जा रहे है। ऐसी स्थिति मे केता व्यापारी द्वारा घोषित क्रय क्षमता तथा प्रतिभूति जमा प्रतिभूति राशि से अधिक मूल्य की कृषि उपज की खरीदी कर, कृषको का भुगतान नही कर, दिवालिया हो जाने या बिना सूचना के व्यापार बंद कर गायब हो जाने की प्रबल संभावनाये बनी रहती है।

कृषि उपज मंडी समिति खिलचीपुर, जिला राजगढ़ में अभी हाल ही में दो अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों द्वारा कतिपय रुप से मंडी प्रांगण में खरीदी उपरांत, किसानों को लाखों रुपये का भुगतान नहीं किया गया है। यदि मंडी समितियॉ अपने दायित्व और कर्तव्यों

के प्रति सजग एवं संवेदनशील नहीं रहेगी तो इस तरह की अप्रिय स्थिति भविष्य में अन्य मंडी समितियों में उत्पन्न होने की संभावना रहेगी। चूंकि इस तरह की घटना प्रथमदृष्टया मंडी समिति के दायित्वों एवं कर्तव्यों में चूक/लापरवाही द्योतक है। अतः अवगत हो कि ऐसी स्थिति में संबंधितों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जावेंगी।

पुनः निर्देशित किया जाता है कि म.प्र.कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 के प्रावधान अंतर्गत कड़ाई से लागू करने के लिये व्यापारियो से उनकी घोषित क्रय क्षमता के अनुसार प्रतिभूति ली जाये एवं क्रय क्षमता के अनुरूप ही कृषि उपज क्रय करने की अनुमति दी जाये। व्यापारी द्वारा घोषित क्रय क्षमता तथा प्रदत्त प्रतिभूति से अधिक की खरीदी पर कड़ाई से रोक लगाई जाये और प्रतिदिन किसानों से खरीदी एवं उन्हें प्राप्त हुये भुगतान की जानकारी का अद्यतन संधारण मंडियों द्वारा किया जायें। मंडियो मे व्यापारियो द्वारा उनकी निर्धारित क्रय क्षमता तक ही खरीदी को सीमित रखने के पर्यवेक्षण हेतु प्रक्रिया निर्धारित कर उसका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित कराया जाये।

उपरोक्त के लिये आपके स्तर से आपके आंचल की समस्त मंडियो के मंडी सचिवो को आवश्ययक निर्देश दिये जाकर इस प्रक्रिया पर सतत् निगरानी रखकर मंडियो मे कार्यरत अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों से उनकी क्रय क्षमता के अनुरूप नियमानुसार प्रतिभूति प्राप्त करने की कृत कार्यवाही की प्रगति की निरन्तर समीक्षा की जाये एवं मंडियो मे नियमन व्यवस्था को और प्रभावी रूप से लागू किया जाना सुनिश्चित कराये।

22/05/14.

(महेन्द्र ज्ञानी)
प्रबंध संचालक
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रं./बी–6/नियमन/परिपत्र/2014–15/1546 भोपाल, दिनांक 22/05/2014

प्रतिलिपि :–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(1) अपर संचालक/संयुक्त/उप संचालक म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय भोपाल।

(2) अध्यक्ष/सचिव कृषि उपज मण्डी समिति,..... की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु

प्रबंध संचालक
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल